

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21 NOV 2024 / 11/2024

क्रमांक एफ 19-19/2024/54 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08/08/2024 द्वारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2024 की कंडिका-3 में निहित प्रावधान के तहत, अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करते हुए पद ग्रहण करने की तिथि से, अधिनियम की कंडिका-4 के अनुसार कार्यकाल 03 माह किया गया था।

2/ राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में नियुक्त अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यकाल में 02 वर्षों की वृद्धि करता है।

3/ उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 849, दिनांक 13/11/2024 के द्वारा प्रदान की गई है।
(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सोनमणि बोरा)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति, अनुसूचित जाति

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21 NOV 2024 / 11/2024

पृ. क्र. एफ 19-19/2024/54

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. समस्त मान. मंत्रीगण/निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. विधान सभा, सचिवालय, रायपुर,
6. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि., मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, मंत्रालय,
9. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
10. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं वि.वि., मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
11. निज सहा., सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि., मंत्रालय, नवा रायपुर,
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
13. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर,
14. सचिव, छ.ग. पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर, छ.ग.,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. संचालक, शासकीय मुद्रणालय नवा रायपुर की ओर इस आदेश को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु,
16. आदेश फोल्डर।

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग